

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

पत्रांक: प. 3(7)शिक्षा-4 / 2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक: ०२-०९-२०२१

1. कुलपतिगण, उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
2. प्रेसिडेन्ट, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

महोदय,

**विषय:-** कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के मध्यनजर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 के लिए किसी प्रकार के शुल्क में अभिवृद्धि नहीं करने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी द्वारा लोक डाउन के कारण समस्त प्रकार के राजकीय एवं निजी औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों के साथ साथ सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं निजी काव्यलय बन्द रहे हैं। इससे अभिभावकों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना है।

अतः कोविड-19 वैश्विक महामारी के मध्येनजर विश्वविद्यालये एवं महाविद्यालयों में फीस वसूली के संदर्भ में पूर्ण सहानुभूति बरते एवं सत्र 2021-22 में किसी भी प्रकार के शुल्क में अभिवृद्धि नहीं की जावें।

भवदीय,  
**ठू**  
(एन.एल. मीना)  
शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सचिव, मा० कुलाधिपति एवं राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा० मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
5. कुलपतिगण समस्त संबंधित विश्वविद्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:-एफ-7 (4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2020-21/पार्ट/**२१५**

दिनांक: 03-08-2021

- पृष्ठांकित प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—
1. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
  2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

3. वैब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने के हेतु।

**(डॉ० सौमित्र नाथ जा)**  
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)  
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।